छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-03

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012

(अग्रहायण-22, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03 से 05, 07 से 10 एवं 12 से 15 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 02, 06 एवं 11 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री संतोष बाफना, अजीत जोगी एवं ब्रम्हानंद नेताम अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित एवं 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

प्रदेश में शिक्षा कर्मियों द्वारा कार्य पर न जाने से शिक्षा व्यवस्था ठप्प होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर चर्चा कराई जाना।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने शिक्षा कर्मियों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने संबंधी तथ्यों का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की। इस पर माननीयअध्यक्ष ने कथन किया कि आपके द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है, अब कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार -

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता, 2011, तथा
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011,

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

1. अधिसूचना क्रमांक 589 एफ-2/(2)/12/48/सं.का. तथा
2. अधिसूचना क्रमांक 591/ एफ-2/(3)/12/48/सं.का., दिनांक 13 सितम्बर, 2012,

(3) श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 55 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-1-10/छ.ग.सि.प्र.निर्वाचन नियम, 2006/एस-2/2012, दिनांक 25 जून, 2012,

(4) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) का वैधानिक संकलित अंकेक्षण प्रतिवेदन का पालन प्रतिवेदन, प्रबंध मंडल की टिप्पणी एवं वार्षिक लेखा वर्ष 2008-2009,

(5) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 8.10.2004 से 31.3.2006, तथा

(6) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 3-14/2011/32, दिनांक 20 जून, 2012,

पटल पर रखा।

4. पृच्छा

प्रदेश में शिक्षा कर्मियों द्वारा कार्य पर न जाने से शिक्षा व्यवस्था ठप्प होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर चर्चा कराई जाना।

श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने शिक्षा कर्मियों पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव के संबंध में नई परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण निर्णय पर पुनर्विचार कर चर्चा की मांग की।

इस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा कथन किया गया कि स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है। आज आपने नई परिस्थितियों के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में पुनर्विचार करने का विषय नहीं है। आज आप नई परिस्थितियों के बारे में बोल रहे हैं। आपने क्या इस पर कोई सूचना दी है कि क्या नई परिस्थितियां पैदा हुई? माननीय श्री धर्मजीत सिंह व श्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी बात रखी। बिना कोई सूचना के बोलने का अवसर दिया गया। इस सदन की जो प्रक्रिया है, नियम है, उसी के अंतर्गत सदन संचालित होगा। यदि किसी बात पर अड़े रहेंगे तो सदन की कार्यवाही आगे कैसे चलेगी? सदन में माननीय मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण बैठे हुए हैं, आपने उनका ध्यान आकर्षित कर दिया। आसंदी द्वारा विधान सभा की कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग करने हेतु आग्रह किया गया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि ध्यानकर्षण करना, आसंदी से संरक्षण मांगना और प्रदेश की परिस्थितियों के बारे में अपनी बात कहना हमारा अधिकार है। शासन द्वारा अपने वक्तव्य में अनेक तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है अतः स्थगन पर पुनर्विचार कर चर्चा कराएं। इस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा कथन किया गया कि आप ध्यानाकर्षण दे दें या कोई सूचना दे दें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आसंदी पूरा सरंक्षण देगी।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई कि सभी सम्मानीय सदस्यों को आसंदी का पूरा संरक्षण है। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आपको बात रखने का अवसर दिया जाता है। लेकिन कल जो आपने स्थगन प्रस्ताव दिया वह कल अग्राह्य हो गया, उसके बाद मेरे पास कोई दूसरी सूचना नहीं है, जिस पर मैं पुनर्विचार करूं और चर्चा कराऊं।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सभा की कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग करने का अनुरोध करते हुए ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने हेतु श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य का नाम पुकारा गया ।

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.16 बजे स्थगित की जाकर 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

6. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) माननीय सदस्यों हेतु MGM Eye Institute, Raipur द्वारा "नेत्र परीक्षण शिविर" विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष क्रमांक 3 में आयोजित किया गया है। सदस्यगण कृपया आज सुविधानुसार नेत्र परीक्षण शिविर का लाभ प्राप्त करें।

(2) आज गुरूवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय सदस्यों के लाभार्थ राजयोगिनी ब्रम्हाकुमारी शिवानी दीदी एवं भ्राता सुरेश ओबेराय, का "सफल राजनीतिक जीवन हेतु सुगम मेडिटेशन" विषय पर केन्द्रित उद्‌बोधन का कार्यक्रम अपराह्न 3.00 बजे विधानसभा परिसर स्थित डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में आयोजित है। आयोजन में सभी माननीय सदस्य एवं पत्रकारगण सादर आमंत्रित हैं।

7. पृच्छा

प्रदेश में शिक्षा कर्मियों द्वारा कार्य पर न जाने से शिक्षा व्यवस्था ठप्प होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर चर्चा कराई जाना।

डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य तथा श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने शिक्षा कर्मियों के साथ शासन द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार का उल्लेख करते हुए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि पूर्व में व्यवस्था दी जा चुकी है, उनके पास कोई सूचना विचार हेतु लंबित नहीं है। अतः विचार का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष से उनकी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने का आग्रह किया गया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.34 बजे स्थगित की जाकर 1.05 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं की गई)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं की गई)

9. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री परेश बागबाहरा
(2) श्री सौरभ सिंह
(3) श्री भोलाराम साहू
(4) श्री लेखराम साहू
(5) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-4, प्रेमनगर की सदस्य श्रीमती रेणुका सिंह द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 से दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

11. वर्ष 2012-2013 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2012-2013 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 की तिथि निर्धारित की ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012)

श्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता(संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012)

श्री भैयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) पुरःस्थापित किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण अपराह्न 1.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 14 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण, 23 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा